"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 जून 2013—ज्येष्ठ 17, शक 1935

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 मई 2013

क्रमांक ई-01-01/2013/एक/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29-04-2013 एवं 01-05-2013 की निरंतरता में आंशिक संशोधन करते हुए श्री के. डी. पी. राव, भा.प्र.से. (1988) जिन्हें आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर के पद पर अस्थाई रूप से पदस्थ किया गया था, को विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी-सह-आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर के पद पर अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ करते हुए विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी के पद को राज्य शासन भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम 2007 के नियम-9 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख सचिव वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

रायपुर, दिनांक 4 मई 2013

क्रमांक 333/181/अव./2013/1-8/स्था.—श्री के. सी. वर्मा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 15-04-2013 से 18-04-2013 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 19, 20 एवं 21-04-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री वर्मा, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री वर्मा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

रायपुर, दिनांक 15 मई 2013

क्रमांक ई 7-36/2004/1-2.—श्री सुब्रत साहू, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग को दिनांक 10-04-2013 से 23-04-2013 तक (14 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही उन्हें दिनांक 24-04-2013 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री साहू, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री साहू को वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश [illegible] जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री साहू अवकाश पर नहीं जाते तो, अपने पद पर कार्य करते रहते

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एल. ताम्रकार, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2013

क्रमांक 325/195/अव./2013/1-8/स्था.—श्री दीनदयाल कुंजाम, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को दिनांक 01-05-2013 से 31-05-2013 तक 31 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री दीनदयाल कुंजाम आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री कुंजाम को अवकाश [illegible] उसी प्रकार देय होंगे, जो [illegible] अवकाश पर [illegible] पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुंजाम अवकाश पर [illegible] जाते तो, [illegible]

रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2013

क्रमांक 327/176/अव./2013/1-8/स्था.—श्री वीरेन्द्र गुप्ता, स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 26-04-2013 से 04-05-2013 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 05-05-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री वीरेन्द्र गुप्ता, आगामी आदेश तक स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री गुप्ता को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो, अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2013

क्रमांक 329/238/अव./2013/1-8/स्था.—श्री भगवान सिंह कुशवाहा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 06-05-2013 से 14-05-2013 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 05-05-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कुशवाहा आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री कुशवाहा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुशवाहा अवकाश पर नहीं जाते तो, अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 9-9/2011/1-8.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28-03-2013 द्वारा श्री के. के. बक्शी, (सेवानिवृत्त, रा.प्र.से.), विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय की संविदा नियुक्ति की अवधि में एक वर्ष अर्थात् दिनांक 01-04-2014 तक वृद्धि की गई है. राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त आदेश की कंडिका-2 के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के तहत श्री बक्शी की संविदा नियुक्ति की सेवा शर्तें निम्नानुसार निर्धारित करता है :—

संविदा नियुक्ति की सेवा शर्तें

1. संविदा नियुक्ति की अवधि में की गई वृद्धि दिनांक 01-04-2014 तक या उक्त पद की नियमानुसार पूर्ति होने तक, इसमें जो भी अवधि पहले हो तब तक के लिये होगी.

2. संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर, संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी तथा सेवा समाप्त करने के लिए पृथक से आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा.

3. संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी.

4. अपनी सेवा की अवधि के दौरान संविदा पर नियुक्त शासकीय सेवक नियोजक से निम्नानुसार वेतन एवं भत्ते प्राप्त करेंगे :—

(1) संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी.

(2) सेवानिवृत्त व्यक्ति की संविदा नियुक्ति की स्थिति में वेतन का निर्धारण (नियतन) उसके सेवानिवृत्ति के समय, वेतन संरचना (यथा संशोधित वेतनमान) में देय मूल वेतन एवं देय महंगाई भत्ते में से देय पेंशन (सरांशीकरण के पूर्व की) एवं उस पर देय महंगाई राहत घटाने के पश्चात् भुगतान योग्य एकमुश्त राशि, संविदा वेतन होगा एवं इसके अतिरिक्त वह सेवानिवृत्ति के समय देय मूल वेतन पर गृह भाड़ा भत्ता (यदि शासकीय आवास गृह धारण नहीं करता है) एवं नगर क्षतिपूर्ति भत्ते का हकदार होगा तथा पेंशन एवं पेंशन पर महंगाई राहत का भी हकदार होगा.

5. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी/अधिकारी प्रत्येक कलैंडर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों के ऐच्छिक अवकाश का हकदार होगा.

6. संविदा नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे.

7. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को संविदा सेवा की अवधि के लिये किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नहीं होगी.

8. संविदा नियुक्ति अधिकारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जाएगा ताकि यदि आगामी समय हेतु पुन: संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन हो सके.

9. संविदा पर नियुक्त सेवानिवृत्त व्यक्ति सेवानिवृत्ति के समय यदि शासकीय आवास में रह रहा हो तो उसे शासकीय आवास की पात्रता बनी रहेगी तथा उससे छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम के नियम 45-क के अनुसार लाइसेंस शुल्क की वसूली की जावेगी. उसे शासकीय सेवकों के समान चिकित्सा प्रतिपूर्ति की भी पात्रता होगी.

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2013

क्रमांक 331/114/अव./2013/1-8/स्था.—श्री अरूण कुमार चांदे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 04-02-2013 से 15-02-2013 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 16-02-2013 एवं 17-02-2013 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार चांदे आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री चांदे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चांदे अवकाश पर नहीं जाते तो, अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 1 मई 2013

क्रमांक एफ 9-3/2012/1-8.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 12-03-2012 द्वारा श्री उमेश द्विवेदी, सेवानिवृत्त, अतिरिक्त संचालक, जनसंपर्क को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त सचिव के रिक्त पद के विरुद्ध एक वर्ष के लिये संविदा नियुक्ति प्रदान की जाकर, उन्हें विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (जनसंपर्क), मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ किया गया है. राज्य शासन एतद्द्वारा श्री द्विवेदी की संविदा नियुक्ति की अवधि जो दिनांक 13-03-2013 को समाप्त हुई है में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के नियम 11(2) के प्रावधानों के तहत एक वर्ष अर्थात् दिनांक 13-03-2014 तक की वृद्धि करता है.

2. श्री द्विवेदी की संविदा नियुक्ति की सेवा शर्तें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के तहत पृथक से जारी की जाएगी.

नया रायपुर, दिनांक 2 मई 2013

क्रमांक एफ 9-10/2012/1-8.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 19-12-2012 द्वारा श्री क्षेत्र सिंह, सेवानिवृत्त अवर सचिव, को कार्यभार गृहण करने के दिनांक से एक वर्ष या उक्त पद की पूर्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान की गई है. राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सिंह की संविदा नियुक्ति की सेवा शर्तें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के तहत निम्नानुसार निर्धारित करता है :—

संविदा नियुक्ति की सेवा शर्तें

1. संविदा नियुक्ति वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से शुरु होकर एक वर्ष के लिए या उक्त पद की पूर्ति होने तक के लिये होगी.

2. संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर; संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी तथा सेवा समाप्त करने के लिए पृथक से आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा.

3. संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी.

4. अपनी सेवा की अवधि के दौरान संविदा पर नियुक्त शासकीय सेवक नियोजक से निम्नानुसार वेतन एवं भत्ते प्राप्त करेंगे :—
   (1) संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी.

   (2) सेवानिवृत्त व्यक्ति की संविदा नियुक्ति की स्थिति में वेतन का निर्धारण (नियतन) उसके सेवानिवृत्ति के समय, वेतन संरचना (यथा संशोधित वेतनमान) में देय मूल वेतन एवं देय महंगाई भत्ते में से देय पेंशन (सरांशीकरण के पूर्व की) एवं उस पर देय महंगाई राहत घटाने के पश्चात् भुगतान योग्य एकमुश्त राशि, संविदा वेतन होगा एवं इसके अतिरिक्त वह सेवानिवृत्ति के समय देय मूल वेतन पर गृह भाड़ा भत्ता (यदि शासकीय आवास गृह धारण नहीं करता है) एवं नगर क्षतिपूर्ति भत्ते का हकदार होगा तथा पेंशन एवं पेंशन पर महंगाई राहत का भी हकदार होगा.

5. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी/अधिकारी प्रत्येक कलैंडर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों के ऐच्छिक अवकाश का हकदार होगा.

6. संविदा नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे.

7. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को संविदा सेवा की अवधि के लिये किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नहीं होगी.

8. संविदा नियुक्त अधिकारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जाएगा ताकि यदि आगामी समय हेतु पुन: संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन हो सके.

9. संविदा पर नियुक्त सेवानिवृत्त व्यक्ति सेवानिवृत्ति के समय यदि शासकीय आवास में रह रहा हो तो उसे शासकीय आवास की पात्रता बनी रहेगी तथा उससे छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम के नियम 45-क के अनुसार लाइसेंस शुल्क की वसूली की जावेगी. उसे शासकीय सेवकों के समान चिकित्सा प्रतिपूर्ति की भी पात्रता होगी.

नया रायपुर, दिनांक 3 मई 2013

क्रमांक एफ 9-3/2012/1-8.—श्री उमेश द्विवेदी (सेवानिवृत्त, अतिरिक्त संचालक, जनसंपर्क), जो संयुक्त सचिव के रिक्त पद के विरुद्ध विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (जनसंपर्क), मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ हैं, की संविदा नियुक्ति की अवधि में एक वर्ष अर्थात् दिनांक

13-03-2014 तक की वृद्धि विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 01-05-2013 द्वारा की है. राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के तहत श्री द्विवेदी की संविदा नियुक्ति की सेवा शर्तें निम्नानुसार निर्धारित करता है :—

संविदा नियुक्ति की सेवा शर्तें

1. संविदा नियुक्ति की अवधि में की गई वृद्धि दिनांक 13-03-2014 तक या उक्त पद की नियमानुसार पूर्ति होने तक, इसमें जो भी अवधि पहले हो तब तक के लिये होगी.

2. संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर, संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी तथा सेवा समाप्त करने के लिए पृथक से आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा.

3. संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी.

4. अपनी सेवा की अवधि के दौरान संविदा पर नियुक्त शासकीय सेवक नियोजक से निम्नानुसार वेतन एवं भत्ते प्राप्त करेंगे :—
   (1) संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी.

   (2) सेवानिवृत्त व्यक्ति की संविदा नियुक्ति की स्थिति में वेतन का निर्धारण (नियतन) उसके सेवानिवृत्ति के समय, वेतन संरचना (यथा संशोधित वेतनमान) में देय मूल वेतन एवं देय महंगाई भत्ते में से देय पेंशन (सरांशीकरण के पूर्व की) एवं उस पर देय महंगाई राहत घटाने के पश्चात् भुगतान योग्य एकमुश्त राशि, संविदा वेतन होगा एवं इसके अतिरिक्त वह सेवानिवृत्ति के समय देय मूल वेतन पर गृह भाड़ा भत्ता (यदि शासकीय आवास गृह धारण नहीं करता है) एवं नगर क्षतिपूर्ति भत्ते का हकदार होगा तथा पेंशन एवं पेंशन पर महंगाई राहत का भी हकदार होगा.

5. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी/अधिकारी प्रत्येक कलैंडर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों के ऐच्छिक अवकाश का हकदार होगा.

6. संविदा नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे.

7. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को संविदा सेवा की अवधि के लिये किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नहीं होगी.

8. संविदा नियुक्त अधिकारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जाएगा ताकि यदि आगामी समय हेतु पुन: संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन हो सके.

9. संविदा पर नियुक्त सेवानिवृत्त व्यक्ति सेवानिवृत्ति के समय यदि शासकीय आवास में रह रहा हो तो उसे शासकीय आवास की पात्रता बनी रहेगी तथा उससे छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम के नियम 45-क के अनुसार लाइसेंस शुल्क की वसूली की जावेगी. उसे शासकीय सेवकों के समान चिकित्सा प्रतिपूर्ति की भी पात्रता होगी.

रायपुर, दिनांक 4 मई 2013

क्रमांक 335/291/अव./2013/1-8/स्था.—श्री एस. के. चक्रवर्ती, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को दिनांक 06-05-2013 से 24-05-2013 तक 19 दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 05-05-2013 एवं 25-05-2013 तथा 26-05-2013 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. चक्रवर्ती आगामी आदेश तक उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री चक्रवर्ती को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चक्रवर्ती अवकाश पर नहीं जाते तो, अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 4 मई 2013

क्रमांक 338/100/अव./2013/1-8/स्था.—श्री नटवरलाल वर्मा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (लेखा शाखा) को दिनांक 04-02-2013 से 08-02-2013 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 03-02-2013 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री वर्मा आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (लेखा शाखा) के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री वर्मा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो, अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 6 मई 2013

क्रमांक 340/114/अव./2013/1-8/स्था.—श्री एस. एल. नर्रे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 28-01-2013 से 02-02-2013 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 25-01-2013, 26-01-2013 एवं 27-01-2013 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. एल. नर्रे, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री नर्रे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नर्रे अवकाश पर नहीं जाते तो, अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 6 मई 2013

क्रमांक 341/132/अव./2013/1-3/स्था.—श्री एस. के. तिवारी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग को दिनांक 31-01-2013 से 08-02-2013 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 09-02-2013 एवं 10-02-2013 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. तिवारी आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री तिवारी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो, अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 6 मई 2013

क्रमांक 343/94/अव./2013/1-8/स्था.—श्री गोपाल सिंह, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग को दिनांक 21-01-2013 से 24-01-2013 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 19-01-2013, 20-01-2013 एवं 25-01-2013, 26-01-2013 तथा 27-01-2013 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गोपाल सिंह आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सिंह को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो, अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 6 मई 2013

क्रमांक 345/295/अव./2013/1-8/स्था.—श्री जी. एल. सांकला, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 29-04-2013 से 04-05-2013 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 28-04-2013 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जी. एल. सांकला आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सांकला को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सांकला अवकाश पर नहीं जाते तो, अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 6 मई 2013

क्रमांक 347/232/अव./2013/1-8/स्था.—श्री ए. के. सिन्हा, वित्तीय सलाहकार, छत्तीसगढ़ शासन, आ. जा. तथा अनु. जाति विकास विभाग को दिनांक 22-04-2013 से 24-05-2013 तक 33 दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 19-04-2013, 20-04-2013 एवं 21-04-2013 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. सिन्हा आगामी आदेश तक वित्तीय सलाहकार, छत्तीसगढ़ शासन, आ.जा. तथा अनु.जाति विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सिन्हा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिन्हा अवकाश पर नहीं जाते तो, अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 6 मई 2013

क्रमांक 349/239/अव./2013/1-8/स्था.—श्री पी. डी. दोहरे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को दिनांक 22-04-2013 से 30-04-2013 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 19-04-2013, 20-04-2013 एवं 21-04-2013 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पी. डी. दोहरे आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री दोहरे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दोहरे अवकाश पर नहीं जाते तो, अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 6 मई 2013

क्रमांक 351/95/अव./2013/1-8/स्था.—श्री वाय. पी. दुपारे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दिनांक 14-01-2013 से 24-01-2013 तक 11 दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 12-01-2013 एवं 13-01-2013 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री वाय. पी. दुपारे आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री दुपारे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दुपारे अवकाश पर नहीं जाते तो, अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 6 मई 2013

क्रमांक 353/197/अव./2013/1-8/स्था.—श्री विनोद कुमार वर्मा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग को दिनांक 15-04-2013 से 29-04-2013 तक 15 दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 13-04-2013 एवं 14-04-2013 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विनोद कुमार वर्मा आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री वर्मा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो, अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 6 मई 2013

क्रमांक 355/230/अव./2013/1-8/स्था.—श्री पी. एन. एस. यादव, सहायक सेनानी को दिनांक 23-03-2013 से 01-04-2013 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पी. एन. एस. यादव आगामी आदेश तक सहायक सेनानी के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री यादव को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री यादव अवकाश पर नहीं जाते तो, अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 6 मई 2013

क्रमांक एफ 9-10/2011/1-8.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 05-05-2012 द्वारा श्री एस. के. बेहार (सेवानिवृत्त, भा.प्र.से.) विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, खनिज साधन विभाग वर्तमान में विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, आवास एवं पर्यावरण विभाग की संविदा नियुक्ति की अवधि में एक वर्ष अर्थात् दिनांक 05-05-2013 तक वृद्धि की गई है. राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के नियम 11(2) के प्रावधानों के तहत श्री बेहार की संविदा नियुक्ति की अवधि में दिनांक 05-05-2013 के पश्चात् पुन: एक वर्ष अर्थात् दिनांक 04-05-2014 तक की वृद्धि करता है.

2. श्री बेहार की संविदा नियुक्ति की सेवा शर्तें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के तहत पृथक से जारी की जाएगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. वर्मा, अवर सचिव.

LAW & LAGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

Raipur, the 21st May 2013

F. No. 41[illegible]/2[illegible]43/XXI-[illegible]/C.G./13.- The State Government, hereby, accords sanction regarding the nomenclature of Readers working in Subordinate Courts specified in column (2) of the table [illegible] designations as specified in column (3) of the said table on the condition that the departmental recruitment [illegible] shall [illegible] according to the number of posts, namely :-

S. No. (1)	Existing Designation (2)	New Designation (3)
1.	Reader to District Judge/Reader to Additional District Judge.	Reader Gr-I
2.	Reader to CJM/Civil Judge (Sr. Div.)	Reader Gr-II
3.	Reader to Civil Judge (Jr. Div.)	Reader Gr-III

This sanction is accorded by the Finance Department vide U.O. No. F 126/1004595/Finance/Rule/4/2013 dated 23-4-2013.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. SAMANTRAY, Principal Secretary.

कृषि विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2013

क्रमांक/1174/एफ-8/68/एन.ए.आई.एस./2013/14-2.—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 13011/15/99/Credit-II दिनांक 26 जुलाई, 1999 तथा प्रशासनिक अनुमोदन क्रमांक 13011/04/2004/Credit-II दिनांक 07 फरवरी, 2013 का संदर्भ लेते हुए छत्तीसगढ़ शासन सूचित करता है कि खरीफ 2013 मौसम में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना सम्पूर्ण प्रदेश में चयनित फसलों पर कार्यान्वित की जावेगी.

2. **निम्न फसलों को अधिसूचित किया गया है :—**
   1. धान असिंचित 2. मक्का 3. सोयाबीन 4. मूंगफली 5. तुअर (अरहर)

3. **अधिसूचित क्षेत्र :**—सभी फसलों के लिये अधिसूचित क्षेत्र राजस्व निरीक्षक मंडल होगा. सभी फसलों के लिए अधिसूचित क्षेत्रों के जिलों के नाम एवं तहसील में राजस्व निरीक्षक मंडल परिशिष्ट-1 में दर्शित है.

4. इस योजना में ऋणी किसान, अऋणी किसान, बटाईदार और काश्तकार कृषक भी भाग ले सकते हैं.

5. ऋणी किसान अनिवार्य रूप से और अऋणी किसान ऐच्छिक रूप से इस योजना में भाग ले सकते हैं.

6. 1 अप्रैल, 2013 से 30 सितंबर, 2013 तक अधिसूचित फसलों के लिए ली गई ऋण राशि खरीफ 2013 मौसम के लिए कवर किया जायेगा.

7. अऋणी किसान और लिये गये ऋण की राशि से उच्च बीमा चाहने वाले ऋणी किसान के लिये बीमा करने की अंतिम तिथि 15-08-2013 होगी.

8. जिला सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक एवं व्यवसायिक बैंक से अधिसूचित फसलों की ऋण राशि का बीमा इस मौसम में किया जायेगा.

9. संबंधित बैंकों का नोडल शाखा नीचे दिये गये समय सारणी के अनुसार घोषणा-पत्र एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमि., क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करेंगे.

समय सारणी

माह के दौरान वितरित ऋण	घोषणा-पत्र स्वीकार किये जाने की समय-सीमा
अप्रैल, 2013 एवं मई, 2013	30 जून, 2013
जून, 2013	31 जुलाई, 2013
जुलाई, 2013	31 अगस्त, 2013
अगस्त, 2013	30 सितम्बर, 2013
सितम्बर, 2013	31 अक्टूबर, 2013
मौसम की अंतिम तिथि	30 नवंबर, 2013

10. शासन द्वारा उपज के आंकड़े भेजने की अंतिम तिथि तुअर (अरहर) को छोड़कर सभी फसलों के लिए 31-01-2014 होगी. तुअर फसल के लिए आंकड़े देने की अंतिम तिथि 31-05-2014 होगी.

11. ऋणी किसान के लिए बीमित राशि लिये गये ऋण राशि तक व इसके अतिरिक्त निर्धारित उपज के मूल्य तक और इससे अधिक 150 प्रतिशत औसत उपज के मूल्य तक होंगे. लिये गये ऋण राशि और निर्धारित उपज के मूल्य तक सामान्य दर लागू होगा और उससे अधिक राशि के लिए वास्तविक दर लागू होगा. अऋणी किसान के लिए बीमित राशि निर्धारित उपज के मूल्य तक सामान्य दर लागू होगा एवं उससे ज्यादा 150 प्रतिशत औसत उपज के मूल्य तक वास्तविक दर लागू होगा.

12. **प्रीमियम में अनुदान :—** ऋणी एवं अऋणी लघु एवं सीमांत किसानों को प्रीमियम में 25 प्रतिशत अनुदान (20 प्रतिशत राज्यांश एवं 5 प्रतिशत केन्द्रांश) की पात्रता है और लघु एवं सीमांत किसानों के लिये समस्त बैंक के नोडल कार्यालय को प्रीमियम की 75 प्रतिशत राशि प्रेषित करनी होगी.

देय प्रीमियम के लिए मांग विकर्ष सहित घोषणा-पत्र एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमि., रायपुर को भेजना होगा.

13. **बैंक सर्विस चार्जेस :—** सभी बैंकों को ऋणी एवं अऋणी किसानों का बीमा करने के लिये कुल प्रीमियम राशि का राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर पर बैंक सर्विस चार्जेस मौसम समाप्ति के पश्चात् प्रदान किया जायेगा.

14. **दावा गणना :—** दावा की गणना आयुक्त भू-अभिलेख, रायपुर द्वारा अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसलों के लिये फसल कटाई प्रयोग पर आधारित उपज दर के आंकड़ों से की जायेगी. शासन द्वारा या अन्य संस्थाओं द्वारा अनावारी, सूखा, बाढ़, अकाल घोषित होने पर दावा देय नहीं है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

परिशिष्ट-1

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2013 हेतु फसलवार अधिसूचित की जाने वाली राजस्व निरीक्षक मंडलों की सूची

क्र.	फसल का नाम	जिला	तहसीलें	राजस्व निरीक्षक मंडल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	धान असिंचित (255)	रायपुर	रायपुर	1 रायपुर-1
				2 धरसींवा-1
				3 धरसींवा-2
			आरंग	4 आरंग
				5 मंदिर हसौद
			अभनपुर	6 अभनपुर
				7 नवापारा
			तिल्दा	8 तिल्दा
				9 खरोरा
		बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	10 बलौदाबाजार
				11 लवन
			बिलाईगढ़	12 बिलाईगढ़
				13 भटगांव
			कसडोल	14 कसडोल
				15 गिधौरी
			सिमगा	16 सिमगा
				17 जरौद

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	धान असिंचित		भाटापारा	18 भाटापारा
				19 निपनिया
			पलारी	20 पलारी
				21 सण्डी
		गरियाबंद	छुरा	22 छुरा
			मैनपुर	23 मैनपुर
			देवभोग	24 देवभोग
			गरियाबंद	25 गरियाबंद
			फिंगेश्वर-राजिम	26 राजिम
		महासमुंद	महासमुंद	27 महासमुंद
				28 पटेवा
			बागबाहरा	29 खल्लारी
				30 कोमाखान
			पिथौरा	31 पिथौरा
				32 सांकरा
			बसना	33 बसना
				34 भंवरपुर
			सरायपाली	35 सरायपाली
				36 खम्हारपाली
		धमतरी	धमतरी	37 धमतरी
				38 भोथली
			नगरी	39 नगरी-सिहावा
			कुरूद	40 कुरूद
			मगरलोड	41 मगरलोड
		दुर्ग	दुर्ग	42 दुर्ग-1
				43 दुर्ग-2
				44 अन्डा
			पाटन	45 पाटन
				46 भिलाई
			धमधा	47 धमधा
				48 अहिवारा
		बालोद	बालोद	49 बालोद
			डौण्डी	50 दल्लीराजहरा
			डौण्डीलोहारा	51 डौंडीलोहारा
				52 खेरखा
			गुरूर	53 गुरूर
			गुण्डरदेही	54 गुण्डरदेही
				55 अर्जुण्दा
		बेमेतरा	बेमेतरा	56 बेमेतरा
				57 खण्डसरा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	धान असिंचित		नवागढ़	58 नवागढ़
				59 मारो
			थानखम्हरिया	60 थानखम्हरिया
			बेरला	61 बेरला
				62 अनंदगांव
			साजा	63 साजा
				64 देवकर
		राजनांदगांव	राजनांदगांव	65 घुमका
				66 राजनांदगांव- 1
				67 राजनांदगांव-2
			छुरिया	68 छुरिया
				69 खुज्जी
			डोंगरगांव	70 डोंगरगांव
				71 तुमड़ीबोड़
			खैरागढ़	72 खैरागढ़
				73 पाड़ादाह
			छुईखदान	74 छुईखदान
				75 गंडई
			डोंगरगढ़	76 डोंगरगढ़
				77 लालबहादुर नगर
			मानपुर	78 मानपुर
			मोहला	79 मोहला
			अंबागढ़ चौकी	80 अंबागढ़ चौकी
		कबीरधाम (कवर्धा)	बोड़ला	81 तरेगांव जंगल
				82 राजानवागांव
				83 चिल्फी
				84 बोड़ला
				85 रेंगाखारकला
			कवर्धा	86 कवर्धा-1
				87 कवर्धा-2
				88 रवेली
				89 पिपरिया
				90 दशरंगपुर
				91 मुरका
			पंडरिया	92 पंडरिया
				93 नेउर
				94 कुकदुर
				95 दुल्लापुर
				96 मोहगांव
				97 कुण्डा
			सहसपुर लोहारा	98 सहसपुर लोहारा
				99 सिलहाटी
				100 चारभाठा
				101 विरेन्द्रनगर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	धान असिंचित	बस्तर (जगदलपुर)	जगदलपुर	102 जगदलपुर-अ
				103 जगदलपुर-ब
				104 नानगुर
			लोहांडीगुड़ा	105 चित्रकोट
			तोकापाल	106 केसलूर
			बस्तानार	107 बस्तानार
			दरभा	108 दरभा
			बस्तर	109 बस्तर
				110 भानपुरी
			बकावंड	111 बकावंड
				112 मुली
				113 करपादंड
		कोण्डागांव	कोण्डागांव	114 कोंडागांव
				115 मर्दापाल
			माकड़ी	116 माकड़ी
			फरसगांव	117 फरसगांव
			केशकाल	118 केशकाल
				119 धनौरा
			बड़ेराजपुर	120 बड़ेराजपुर
		नारायणपुर	नारायणपुर	121 नारायणपुर
				122 घोड़ाई
		कांकेर	कांकेर	123 कांकेर
			चारामा	124 चारामा
				125 लखनपुरी
			नरहरपुर	126 नरहरपुर
				127 सरोना
			भानुप्रतापपुर	128 भानुप्रतापपुर
				[illegible]
			दु[illegible]	[illegible]
			पखांजूर	131 पखांजूर
				132 बांदे
				133 कोयलीबेड़ा
			अंतागढ़	134 अंतागढ़
				135 आमाबेड़ा
		दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	136 दंतेवाड़ा
				137 बड़ेबचेली
				138 कोड़म
			गीदम	139 गीदम
				140 बारसूर
			कुआकोण्डा	141 कुआकोण्डा
				142 किरंदुल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	धान असिंचित		कटेकल्याण	143 कटेकल्याण
				144 बड़ेगुडरा
		सुकमा	कोंटा	145 कोंटा
				146 जुगरगुड़ा
				147 कांकेरलंका
			सुकमा	148 सुकमा
				149 गादीरास
			छिंदगढ़	150 छिंदगढ़
				151 तोंगापाल
		बीजापुर	बीजापुर	152 बीजापुर
			भैरमगढ़	153 भैरमगढ़
			भोपालपट्टनम	154 भोपालपट्टनम
			उसूर	155 उसूर
		बिलासपुर	मस्तुरी	156 मस्तुरी
				157 सीपथ
			तखतपुर	158 तखतपुर
				159 सकरी
			बिल्हा	160 बिल्हा
			पेण्ड्रारोड़	161 गौरेला
			पेण्ड्रा	162 पेण्ड्रा
			मरवाही	163 मरवाही
			बिलासपुर	164 बिलासपुर
				165 बेलतरा
			कोटा	166 कोटा
				167 रतनपुर
		मुंगेली	मुंगेली	168 मुंगेली
				169 जरहागांव
			पथरिया	170 पथरिया
			लोरमी	171 लोरमी
		जांजगीर-चांपा	जांजगीर	172 जांजगीर
			चांपा	173 चांपा
				174 बम्हनीडीह
			पामगढ़	175 पामगढ़
				176 राहोद
			सक्ती	177 सक्ती
			डभरा	178 डभरा
				179 चन्द्रपुर
			नवागढ़	180 नवागढ़
				181 शिवरीनारायण
			जैजेपुर	182 जैजेपुर
				183 हसौद

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	धान असिंचित		मालखरौदा	184 मालखरौदा
				185 अड़भार
			अकलतरा	186 अकलतरा
			बलौदा	187 बलौदा
		कोरबा	कोरबा	188 कोरबा
				189 भैंसमा
			करतला	190 करतला
				191 बरपाली
			कटघोरा	192 कटघोरा
				193 दीपिका ह.ब.
			पाली	194 पाली
				195 हरदीबाजार
				196 पोड़ीउपरोड़ा
				197 पसान
		सरगुजा	अंबिकापुर	198 अंबिकापुर-1
				199 अंबिकापुर-2
				200 दरिमा
			लखनपुर	201 लखनपुर
			उदयपुर	202 उदयपुर
			सीतापुर	203 सीतापुर
			मैनपाठ	204 मैनपाठ
			लुण्ड्रा धौरपुर	205 लुण्ड्रा
				206 धौरपुर
			बतौली	207 बतौली
		सूरजपुर	सुरजपुर	208 सुरजपुर
				209 पिलखा
			भैयाथान	210 भैयाथान
				211 भटगांव
			ओड़गी	212 ओड़गी
			रामानुजनगर	213 रामानुजनगर
			प्रेमनगर	214 प्रेमनगर
			प्रतापपुर	215 प्रतापपुर
				216 डाडकरवां
		बलरामपुर	रामचन्द्रपुर	217 रामचन्द्रपुर
			बलरामपुर	218 बलरामपुर
			वाड्रफनगर	219 वाड्रफनगर
				220 रघुनाथ नगर
			कुसमी	221 कुसमी
				222 सामरी
			शंकरगढ़	223 शंकरगढ़
			राजपुर	224 राजपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	धान असिंचित	कोरिया	सोनहत	225 सोनहत
			बैकुण्ठपुर	226 बैकुण्ठपुर
				227 पटना
			मनेन्द्रगढ़	228 मनेन्द्रगढ़
			भरतपुर	229 भरतपुर
				230 कांटाडोल
			खड़गवां	231 खड़गवां
		रायगढ़	धरमजयगढ़	232 धरमजयगढ़
				233 कापू
			खरसिया	234 खरसिया
			रायगढ़	235 रायगढ़-1
				236 रायगढ़-2
				237 किरोड़ीमल नगर
			पुसौर	238 पुसौर
			सारंगढ़	239 सारंगढ़
				240 हरदी
			बरमकेला	241 बरमकेला
				242 सरिया
			घरघोड़ा	243 घरघोड़ा
			तमनार	244 तमनार
			लैलूंगा	245 लैलूंगा
		जशपुर	पत्थलगांव	246 पत्थलगांव
				247 बागबहार
			कांसाबेल	248 कांसाबेल
			कुनकुरी	249 कुनकुरी
			दुलदुला	250 कस्तुरा
			फरसाबहार	251 तपकरा
			बगीचा	252 बगीचा
				253 सन्ना
			जशपुर	254 जशपुर
			मनोरा	255 मनोरा
2.	मक्का (108)	गरियाबंद	मैनपुर	1 मैनपुर
			देवभोग	2 देवभोग
		राजनांदगांव	छुईखदान	3 गंडई
			मानपुर	4 मानपुर
			मोहला	5 मोहला
		कबीरधाम (कवर्धा)	बोड़ला	6 तरेगांव जंगल
				7 चिल्फी
				8 रेंगाखारकला
			पंडरिया	9 कुकदुर
				10 नेउर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	मक्का	बस्तर (जगदलपुर)	जगदलपुर	11 जगदलपुर-अ
				12 नानगुर
			लोहांडीगुड़ा	13 चित्रकोट
			तोकापाल	14 केसलूर
			बस्तानार	15 बस्तानार
			दरभा	16 दरभा
			बस्तर	17 भानपुरी
				18 बस्तर
			बकावंड	19 बकावंड
				20 मुली
				21 करपादंड
		कोण्डागांव	कोण्डागांव	22 कोंडागांव
				23 मर्दापाल
			माकड़ी	24 माकड़ी
			फरसगांव	25 फरसगांव
			केशकाल	26 केशकाल
				27 धनौरा
			बड़ेराजपुर	28 बड़ेराजपुर
		नारायणपुर	नारायणपुर	29 नारायणपुर
				30 घोड़ाई
		कांकेर	कांकेर	31 कांकेर
			भानुप्रतापपुर	32 भानुप्रतापपुर
				33 कोरर
			दुर्गकोंदल	34 दुर्गकोंदल
			पखांजूर	35 पखांजूर
				36 बांदे
				37 कोयलीबेड़ा
			अंतागढ़	38 अंतागढ़
				39 आमाबेड़ा
		दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	40 दंतेवाड़ा
				41 बड़ेबचेली
				42 कोडम
			गीदम	43 बारसूर
				44 गीदम
			कुआकोण्डा	45 कुआकोण्डा
				46 किरंदुल
			कटेकल्याण	47 कटेकल्याण
				48 बड़ेगुडरा
		सुकमा	कोंटा	49 कोंटा
				50 कांकेरलंका
			सुकमा	51 सुकमा
				52 गादीरास

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	मक्का		छिंदगढ़	53 छिंदगढ़
				54 तोंगापाल
		बीजापुर	बीजापुर	55 बीजापुर
			भैरमगढ़	56 भैरमगढ़
			भोपालपट्टनम	57 भोपालपट्टनम
		बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	58 गौरेला
			पेण्ड्रा	59 पेण्ड्रा
			मरवाही	60 मरवाही
			कोटा	61 कोटा
		कोरबा	कोरबा	62 भैंसमा
			कटघोरा	63 कटघोरा
			पाली	64 पाली
			पोड़ीउपरोड़ा	65 पोड़ीउपरोड़ा
				66 पसान
		सरगुजा	अंबिकापुर	67 अंबिकापुर-1
				68 अंबिकापुर-2
				69 दरिमा
			लखनपुर	70 लखनपुर
				71 उदयपुर
				72 सीतापुर
				73 मैनपाठ
				74 लुण्ड्रा
				75 धौरपुर
				76 बतौली
		सूरजपुर	सूरजपुर	77 सुरजपुर
				78 पिलखा
			भैयाथान	79 भैयाथान
				80 भटगांव
			ओड़गी	81 ओड़गी
			रामानुजनगर	82 रामानुजनगर
			प्रेमनगर	83 प्रेमनगर
			प्रतापपुर	84 प्रतापपुर
				85 डाडकरवां
		बलरामपुर	रामचन्द्रपुर	86 रामचन्द्रपुर
			बलरामपुर	87 बलरामपुर
			वाड्रफनगर	88 वाड्रफनगर
				89 रघुनाथ नगर
			कुसमी	90 कुसमी
				91 सामरी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	मक्का		शंकरगढ़	92 शंकरगढ़
			राजपुर	93 राजपुर
		कोरिया	सोनहत	94 सोनहत
			बैकुण्ठपुर	95 बैकुण्ठपुर
				96 पटना
			मनेन्द्रगढ़	97 मनेन्द्रगढ़
			भरपतुर	98 भरतपुर
				99 कांटाडोल
			खड़गवां	100 खड़गवां
		रायगढ़	धरमजयगढ़	101 धरमजयगढ़
				102 कापू
		जशपुर	पत्थलगांव	103 पत्थलगांव
			कांसाबेल	104 कांसाबेल
			कुनकुरी	105 कुनकुरी
			बगीचा	106 बगीचा
				107 सन्ना
			मनोरा	108 मनोरा
3.	मूंगफली (47)	बलौदाबाजार	बिलाईगढ़	1 भटगांव
		महासमुंद	महासमुन्द	2 पटेवा
			बागबाहरा	3 खल्लारी
				4 कोमाखान
			पिथौरा	5 पिथौरा
				6 सांकरा
			बसना	7 बसना
				8 भंवरपुर
			सरायपाली	9 सरायपाली
				10 खम्हारपाली
		बिलासपुर	पेण्ड्रारोड़	11 गौरेला
			मरवाही	12 मरवाही
		मुंगेली	मुंगेली	13 मुंगेली
			पथरिया	14 पथरिया
		सरगुजा	लखनपुर	15 लखनपुर
			उदयपुर	16 उदयपुर
			सीतापुर	17 सीतापुर
			मैनपाठ	18 मैनपाठ
			बतौली	19 बतौली
		सुरजपुर	सुरजपुर	20 पिलखा
			भैयाथान	21 भटगांव
				22 भैयाथान

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	**मूंगफली**		ओड़गी	23 ओड़गी
			रामानुजनगर	24 रामानुजनगर
			प्रतापपुर	25 प्रतापपुर
				26 डाडकरवां
		बलरामपुर	बलरामपुर	27 बलरामपुर
			वाड्रफनगर	28 वाड्रफनगर
			शंकरगढ़	29 शंकरगढ़
			राजपुर	30 राजपुर
		रायगढ़	धरमजयगढ़	31 धरमजयगढ़
				32 कापू
			रायगढ़	33 किरोड़ीमल नगर
			पुसौर	34 पुसौर
			सारंगढ़	35 सारंगढ़
				36 हरदी
			बरमकेला	37 बरमकेला
				38 सरिया
			घरघोड़ा	39 घरघोड़ा
			तमनार	40 तमनार
			लैलूंगा	41 लैलूंगा
		जशपुर	पत्थलगांव	42 पत्थलगांव
				43 बागबहार
			कांसाबेल	44 कांसाबेल
			कुनकुरी	45 कुनकुरी
			फरसाबहार	46 तपकरा
			बगीचा	47 बगीचा
4.	**अरहर** (80)	गरियाबंद	मैनपुर	1 मैनपुर
			देवभोग	2 देवभोग
		महासमुन्द	बसना	3 भंवरपुर
		धमतरी	नगरी	4 नगरी-सिहावा
		दुर्ग	धमधा	5 धमधा
				6 अहिवारा
		बालोद	डोण्डीलोहारा	7 खेरथा
		बेमेतरा	बेमेतरा	8 बेमेतरा
				9 खण्डसरा
			नवागढ़	10 नवागढ़
			थानखम्हरिया	11 थानखम्हरिया

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	अरहर (80)		बेरला	12 बेरला
				13 आनंदगांव
			साजा	14 साजा
				15 देवकर
		राजनांदगांव	राजनांदगांव	16 घुमका
			छुरिया	17 छुरिया
			खैरागढ़	18 खैरागढ़
				19 पाड़ादाह
			छुईखदान	20 छुईखदान
				21 गंडई
			डोंगरगढ़	22 डोंगरगढ़
		कबीरधाम (कवर्धा)	बोड़ला	23 तरेगांव जंगल
				24 बोड़ला
			कवर्धा	25 पिपरिया
			पंडरिया	26 नेउर
				27 कुकदुर
			सहसपुर लोहारा	28 विरेन्द्रनगर
		बिलासपुर	तखतपुर	29 तखतपुर
				30 सकरी
			पेण्ड्रारोड	31 गौरेला
			पेण्ड्रा	32 पेण्ड्रा
			मरवाही	33 मरवाही
		मुंगेली	मुंगेली	34 मुंगेली
			पथरिया	35 पथरिया
			लोरमी	36 लोरमी
	अरहर	कोरबा	कोरबा	37 भैंसमा
			पाली	38 पाली
			पोड़ीउपरोड़ा	39 पोड़ीउपरोड़ा
				40 पसान
		सरगुजा	अंबिकापुर	41 दरिमा
			लखनपुर	42 लखनपुर
			उदयपुर	43 उदयपुर
			सीतापुर	44 सीतापुर
			मैनपाठ	45 मैनपाठ
			लुण्ड्रा धौरपुर	46 लुण्ड्रा
				47 धौरपुर
			बतौली	48 बतौली
		सुरजपुर	सुरजपुर	49 पिलखा
			भैयाथान	50 भैयाथान

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	अरहर		ओड़गी	51 ओड़गी
			रामानुजनगर	52 रामानुजनगर
			प्रेमनगर	53 प्रेमनगर
			प्रतापपुर	54 प्रतापपुर
				55 डाडकरवां
		बलरामपुर	रामचन्द्रपुर	56 रामचन्द्रपुर
			बलरामपुर	57 बलरामपुर
			वाड्रफनगर	58 वाड्रफनगर
				59 रघुनाथ नगर
			कुसमी	60 कुसमी
			शंकरगढ़	61 शंकरगढ़
			राजपुर	62 राजपुर
		कोरिया	सोनहत	63 सोनहत
			बैकुण्ठपुर	64 बैकुण्ठपुर
				65 पटना
			मनेन्द्रगढ़	66 मनेन्द्रगढ़
			भरतपुर	67 भरतपुर
				68 कांटाडोल
			खड़गवां	69 खड़गवां
		रायगढ़	धरमजयगढ़	70 धरमजयगढ़
			तमनार	71 तमनार
			लैलूंगा	72 लैलूंगा
		जशपुर	पत्थलगांव	73 पत्थलगांव
				74 बागबहार
			कांसाबेल	75 कांसाबेल
			कुनकुरी	76 कुनकुरी
			फरसाबहार	77 तपकरा
			बगीचा	78 बगीचा
				79 सन्ना
			मनोरा	80 मनोरा
5.	सोयाबीन (40)	दुर्ग	धमधा	1 धमधा
				2 अहिवारा
		बेमेतरा	बेमेतरा	3 बेमेतरा
				4 खण्डसरा
			नवागढ़	5 नवागढ़
				6 मारो
			थानखम्हरिया	7 थानखम्हरिया
			बेरला	8 बेरला
				9 अनंदगांव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	सोयाबीन (40)		साजा	10 साजा
				11 देवकर
	सोयाबीन	राजनांदगांव	राजनांदगांव	12 घुमका
				13 राजनांदगांव-1
			डोंगरगांव	14 तुमड़ीबोड़
			खैरागढ़	15 खैरागढ़
				16 पाड़ादाह
			छुईखदान	17 छुईखदान
				18 गंडई
			डोंगरगढ़	19 डोंगरगढ़
				20 लालबहादुर नगर
		कबीरधाम (कवर्धा)	बोड़ला	21 तरेगांव जंगल
				22 राजानवागांव
				23 चिल्फी
				24 बोड़ला
			कवर्धा	25 कवर्धा-1
				26 कवर्धा-2
				27 रवेली
				28 पिपरिया
				29 दसरंगपुर
				30 मुरका
			पंडरिया	31 पंडरिया
				32 दुल्लापुर
				33 मोहगांव
				34 कुण्डा
			सहसपुर लोहारा	35 सहसपुर लोहारा
				36 सिलहारी
				37 चारभाठा
				38 विरेन्द्रनगर
		मुंगेली	मुंगेली	39 मुंगेली
			लोरमी	40 लोरमी

गोशवारा

क्र.	फसल	जिला (सं.)	तहसील (सं.)	राजस्व निरीक्षक मंडल (सं.)
1.	धान असिंचित	27	147	255
2.	मक्का	18	68	108
3.	मूंगफली	9	37	47
4.	अरहर	17	63	80
5.	सोयाबीन	5	17	40

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2013

क्रमांक 02/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	चिचगोहना प.ह.नं. 4	1.601	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड, जिला-बिलासपुर.	कुम्हारी व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 मई 2013

क्रमांक 40/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	सरवन देवरी प.ह.नं. 7	0.76	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भ/स संभाग क्र.-1, बिलासपुर.	महामाया मंदिर रतनपुर बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 मई 2013

क्रमांक 41/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	खैरखुण्डी प.ह.नं. 6	3.72	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भ/स संभाग क्र.-1, बिलासपुर.	महामाया मंदिर रतनपुर बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 9 मई 2013

क्रमांक/3320/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	घुघवा प. ह. नं. 20	1.936	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के बगदई डिस्ट्रीब्यूटरी के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 9 मई 2013

क्रमांक/3321/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	गिरगांव प. ह. नं. 08	0.138	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के बगदई डिस्ट्रीब्यूटरी के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बालोद, दिनांक 14 मई 2013

क्रमांक/3150/भू-अ.प्र.क्र./अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	डौण्डीलोहारा	करेंगांव प. ह. नं. 31/47	3.22	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बालोद (छ.ग.)	करेंगांव जलाशय के रपटा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 14 मई 2013

क्रमांक/3152/भू-अ.प्र.क्र./अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन; इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	डौण्डीलोहारा	करतूटोला प. ह. नं. 31/47	5.77	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बालोद (छ.ग.)	करतूटोला जलाशय के डुबान क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 17 मई 2013

क्रमांक 971/प्र-1/भू-अर्जन/13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	बालोद	पड़कीभाट प. ह. नं. 19	1.77	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बालोद संभाग, बालोद.	बालोद - पड़कीभाट बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद, मुख्यालय बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृत कुमार खलखो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 19 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02 अ/82 वर्ष 2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बलौदाबाजार	कुकुरदी प. ह. नं. 10	3.895	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, बलौदाबाजार (छ.ग.)	बलौदाबाजार बाईपास मार्ग निर्माण हेतु.

बलौदाबाजार, दिनांक 27 अप्रैल 2013

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र.क्र.-2 अ/82 वर्ष 2013.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	भाटापारा	लालपुर प. ह. नं. 24	1.10	कार्यपालन अभियंता, खारंगा जल संसाधन संभाग, बिलासपुर, छ.ग.	अमलडीहा एनीकट तटबंध एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 2 मई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/82/अ-82/2010-11.— उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया द्वारा ग्राम-सूपा, प.ह.नं.-38, तहसील पुसौर व जिला रायगढ़ की निजी भूमि कुल रकबा 5.585 हे. केलो परियोजना अंतर्गत बुनगा माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-4 (1) की अधिसूचना तथा धारा-6 की अधीसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः दिनांक 28-10-2011 तथा दिनांक 27-07-12 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा, अस्थायी मुख्यालय खरसिया के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु सम्मिलित उक्त भूमि से निम्नांकित कुल ख. नं. 24 कुल रकबा 1.503 हे. भूमि प्रभावित न होने के फलस्वरूप भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा-48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम सूपा

खसरा नं.	रकबा	खसरा नं.	रकबा	खसरा नं.	रकबा	खसरा नं.	रकबा
398/5	0.076	461/4	0.053	384/3	0.004	434/2	0.028
438/8	0.153	485/22	0.053	388/2क	0.053	291/1	0.030
438/5	0.101	55/6	0.041	388/2घ	0.133	388/2घ	0.210
444/5	0.041	76/4	0.073	388/2न	0.077	388/2व	0.077
485/6	0.012	76/2	0.045	432/1	0.028	487/2	0.048
340/2	0.032	76/5	0.061	433/2	0.041	436/2	0.033

कुल खसरा 24 कुल रकबा 1.503 हेक्टेयर

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बालोद, दिनांक 14 मई 2013

क्रमांक/3162/भू.अ.प्र.क्र./08/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-कर्रेगांव, प.ह.नं. 31/45
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-20.85 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1042	0.41

(1)	(2)
1046	0.14
984	0.38
1037	0.08
1044	0.16
993	0.62
994	0.75
1043	0.19
1051	0.07
1064	0.16
995	0.20
1027	0.49
1028	0.43
1029	0.43
1030	0.17
1031	0.62
1032	1.21
1041	1.28
1061	2.33
1069	0.25
1062	0.28
1063	0.38
1065	0.25
1066	0.37
1104	0.30
1067	0.45
1068	0.22
1072	0.10
1100	0.56
1101	0.12
1099	0.22
1102	0.08
1103	0.34
1098	0.15
1108	0.62
1109	0.46
1080/1	0.15
1080/3	0.10
1080/2	0.27
1081	0.15
1082	0.16
1083	0.13
1085	0.53
1086	0.50
1087	1.48
1075/1	0.20
1076/1	0.20
1070	0.31
1002/2	0.60
1003/2	0.64
1003/3	0.16
योग 51	20.85

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-**करेंगांव जलाशय** योजना के डुबान क्षेत्र एवं नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डौण्डीलोहारा एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृत कुमार खलखो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 15 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 30/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-हरदीझरिया, प.ह.नं. 32
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.879 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
774	0.770

	(1)	(2)
	776	0.170
	779	0.640
	1026	0.089
	777	0.230
	778	0.280
	720	0.600
योग	7	2.879

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-पीठाआमा जलाशय योजना के डुबान क्षेत्र हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित आनंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 1 मई 2013

क्रमांक/365/क/भू-अर्जन/प्र.क्र.-03 अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-सिमगा
- (ग) नगर/ग्राम-तुलसी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.358 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	108	0.213
	110	0.113
	111/1	0.024
	111/20	0.008
योग	4	0.358

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-तुलसी-पौंसरी मार्ग के शिवनाथ नदी पर पुल व पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 अप्रैल 2013

क्रमांक क/भू-अर्जन/2012/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- **(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)**
- **(ख) तहसील-डभरा**
- (ग) नगर/ग्राम-छवारीपाली, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.38 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
247/2	0.09

(1)	(2)
246/7	0.09
246/8	0.13
246/12	0.09
2/11	0.09
2/12	0.09
3/2	0.03
3/4	0.20
3/3	0.06
12	0.54
14/7	0.08
14/1	0.07
14/3क	0.02
14/6	0.06
14/5	0.05
14/4क	0.08
15, 38/1	0.13
38/3	0.05
19	0.28
18/1	0.04
18/2	0.01
18/3	0.04
20/1ख	0.16
78/2	0.01
78/3	0.03
78/4	0.03
77/4	0.15
76/1	0.01
74	0.06
75/3	0.09
75/2	0.01
52/8	0.09
52/10	0.02
57/3	0.15
57/4	0.02
56/1ख	0.09
55/2	0.04
55/1	0.10
योग 38	3.38

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–माण्ड व्यपवर्तन योजना के छवारीपाली माइनर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 मई 2013

क्रमांक 02 क/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-बलौदा
- (ग) नगर/ग्राम-नवापारा, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.53 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
109/2ग	0.04
109/2च	0.04
109/2क	0.14
111/2	0.08
111/3	0.01
464/1	0.08
464/2	0.14
योग 7	0.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–कुकदा एनीकट के शीर्ष कार्य एवं पहुंच मार्ग निर्माण, हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), बिलासपुर, छत्तीसगढ़

बिलासपुर, दिनांक 22 मार्च 2013

क्रमांक/243/भू.अ./वन अधि./एफ-4/2013.—छत्तीसगढ़ शासन आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ-10-11/2012/25-2/रायपुर दिनांक 27-11-2012 की कंडिका 1.1 के अनुपालन में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति हेतु पदेन सदस्यो के अतिरिक्त निम्न अशासकीय सदस्यों (जिला पंचायत सदस्यों) को समिति का सदस्य आगामी आदेश पर्यन्त नामित किया जाता है :—

1. श्री शंकर कंवर, सदस्य जिला पंचायत बिलासपुर क्षेत्र क्रमांक- 20 गौरेला.
2. श्रीमती चंदा मनोहर राज, सदस्य जिला पंचायत बिलासपुर क्षेत्र क्रमांक - 08 कोटा.
3. श्री प्रताप भानू, सदस्य जिला पंचायत बिलासपुर क्षेत्र क्रमांक - 23 मरवाही.

ये जिला स्तर में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक में शामिल होकर कार्यवाही में भाग लेंगे.

राम सिंह,
कलेक्टर

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2013

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2012-13/9142.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2012-13/7665 रायपुर, दिनांक 13-02-2013 द्वारा श्री एस. के. तिवारी डिप्टी, कलेक्टर, जांजगीर-चांपा को कृषि उपज मण्डी समिति नैला, जिला-जांजगीर-चांपा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

डिप्टी कलेक्टर जांजगीर-चांपा के पत्र क्रमांक 3583 दिनांक 15-03-2013 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति नैला में श्री संतोष कुमार गुप्ता, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा श्री एस. के. तिवारी, डिप्टी कलेक्टर, का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री संतोष कुमार गुप्ता, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति, नैला का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

ए. एन. मिश्रा,
प्रबंध संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 8th March 2013

No. 167/Confdl./2013/II-2-4/2002.—The following Judicial Officers of Higher Judicial Service, as specified in column No. (2) of the table below, in whose favour a certificate of confirmation was issued vide Registry Order No. 516/Confdl./2011/II-2-4/2002, dated 02-09-2011, are, hereby, confirmed in Higher Judicial Service from the date mentioned in column No. (3) :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Date of Confirmation (3)
1.	Smt. Minakshi Gondaley	21-02-2013
2.	Shri Ram Kumar Tiwari	01-03-2013

Bilaspur, the 13th March 2013

No. 173/Confdl./2013/II-2-1/2013.—In Registry Order No. 278/Confdl./2011/II-2-1/2011 dt. 04-04-2011, the entry in Column No. (2) at Sl. No. 2 in the table and in Endt. No. 279/Confdl./2011/II-2-1/2011 at Sl. No. 16 (ii) be read as "Smt. Pragya Pachouri W/o Shri J. P. Pateria" in place of "Smt. Pragya Pachouri D/o Shri J. P. Pateria".

Bilaspur, the 19th March 2013

No. 180/Confdl./2013/II-2-1/2013.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), of the table below, hereby are transferred from the place shown in column No. (3) to the place shown in column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date they assumes charge of their office and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Sessions Judges of the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Sandeep Bakshi, District & Sessions Judge.	Raipur	Janjgir-Champa	Janjgir-Champa	District & Sessions Judge.
2.	Smt. Anita Jha, District & Sessions Judge.	Bilaspur	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	District & Sessions Judge.
3.	Shri Chhabilal Patel, District & Sessions Judge.	Ambikapur	Bilaspur	Bilaspur	District & Sessions Judge.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Shri Arvind Kumar Shrivastava Registrar General, High Court of Chhattisgarh.	**Bilaspur**	**Raipur**	Raipur	District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 19th March 2013

No. 182/Confdl./2013/II-2-1/2013.—**The following** Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), of the table below, **hereby are transferred** from the place shown in column No. (3) to the place shown in column No. (4) and are posted **in the capacity** as mentioned in column No. (6) from the date they assume charge of their office and;

The following **Members of Higher Judicial** Service are appointed as Additional Sessions **Judge for the** Sessions Division **mentioned in Column No. (5)** from the date they assume charge of their office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	**Posted as (6)**
1.	Shri Arvind Kumar Sinha, Addl. District & Sessions Judge.	Mungeli	Bhatapara	Raipur	Additional District & Sessions Judge.
2.	Shri Narendra Singh Chawla, Addl. District & Sessions Judge.	Gariaband	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	I Additional District & Sessions Judge
3.	Shri Ashok Kumar Lunia, Addl. District & Sessions Judge.	Bhatapara	Surajpur	Surguja (Ambikapur)	Additional District & Sessions Judge.
4.	Shri Hirendra Singh Tekam, II Addl. District & Sessions Judge.	Raipur	Mungeli	Bilaspur	Additional District & Sessions Judge
5.	Shri Sanjay Kumar Jaiswal, I Addl. District & Sessions Judge.	Ambikapur	Raipur	Raipur	II Additional District & Sessions Judge
6.	Shri Jaideep Vijay Nimonkar, Addl. District & Sessions Judge.	Surajpur	Janjgir-Champa	Janjgir-Champa	Additional District & Sessions Judge.
7.	Shri Jerom Kujur, Addl. District & Sessions Judge.	Janjgir-Champa	Gariaband	Raipur	Additional District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 19th March 2013

No. 185/Confdl./2013/II-2-90/2001 (Pt. III).—(A) Shri Ashok Kumar Panda, Member of Higher Judicial Service and presently posted as Registrar (Vigilance), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is appointed as Registrar General. High Court of Chhattisgarh, Bilaspur from the date he assumes charge of his office.

(B) Shri Gautam Chouradia, Member of Higher Judicial Service and presently posted as District & Sessions Judge, Janjgir-Champa is appointed as Registrar (Vigilance), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur from the date he assumes charge of his office.

Bilaspur, the 19th March 2013

No. 189/Confdl./2013/II-2-2/2002 (Pt. II).—The following District Judge (Selection Grade), as specified in Column No. (2) of the table below, are hereby appointed on the post of District Judge (Super Time Scale) of Rs. 22850-500-24850 (Revised Rs. 70290-1540-76450) from the date mentioned in Column No. (3) :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer with present designation (2)	Date of appointment on the post of District Judge (Supter Time Scale) (3)
1	Shri Tarendra Kumar Jha, Chairman, Permanent Lok Adalat, Jagdalpur.	03-03-2013
2.	Shri Prabhat Kumar Shastri, District & Sessions Judge, Jashpur	03-03-2013
3.	Shri Sharad Kumar Gupta, Judge, Family Court, Raigarh	03-03-2013
4.	Shri A. K. Samanta Ray, Secretary, Govt. of C.G., Law & Legislative Affairs Department, Raipur.	03-03-2013
5.	Shri Ram Prasanna Sharma, Presiding Officer, State Transport Appellate Tribunal, Raipur.	03-03-2013
6.	Shri Ashok Kumar Goyal, Registrar, Chhattisgarh Arbitration Tribunal, Raipur.	03-03-2013
7.	Shri Pradeep Kumar Dave, District & Sessions Judge, Korba	03-03-2013
8.	Shri Arvind Singh Chandel, District & Sessions Judge, Kawardha.	03-03-2013

Bilaspur, the 19th March 2013

No. 191/Confdl./2013/II-2-3/2002 (Pt. II).—The following District Judge (Entry Level) as specified in Column No. (2) of the table below are hereby appointed on the post of District Judge (Selection Grade) of Rs. 18750-400-19150-450-21850-500-22850 (Revised Rs. 57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290) from the date mentioned

in Column No. (3) :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer with present designation (2)	Date of appointment on the post of District Judge (Selection Grade) (3)
1.	Shri Ashok Kumar Pathak, Registrar, Chhattisgarh Consumer Disputes Redressal Commission, Raipur.	03-03-2013
2.	Shri Satish Kumar Singh, I Additional District & Sessions Judge, Mahasamund.	03-03-2013
3.	Shri Anil Kumar Gaikwad, Chairman, Permanent Lok Adalat, Bilaspur.	03-03-2013
4.	Shri Jerom Kujur, I Additional District & Sessions Judge, Janjgir-Champa.	03-03-2013
5.	Shri Ganpat Rao, Special Judge under SC & ST (P.A.) Act, Raipur.	03-03-2013
6.	Shri Ashok Kumar Potdar, Additional District & Sessions Judge, Kondagaon.	03-03-2013
7.	Smt. Rajni Dube, Special Judge in Special Court for C.B.I. cases, Raipur.	03-03-2013
8.	Shri Neelam Chand Sankhla, Presiding Officer, Wakf Tribunal, Raipur.	03-03-2013
9.	Shri Naresh Kumar Chandrawanshi, Additional Registrar (D.E.), High Court of C.G., Bilaspur.	03-03-2013
10.	Shri Ravi Shankar Sharma, Additional Secretary, Govt. of C.G., Law & Legislative Affairs Department, Raipur.	03-03-2013
11.	Shri Vinay Kumar Kashyap, Additional District & Sessions Judge, Bhanupratappur.	03-03-2013
12.	Shri Deepak Kumar Tiwari, Additional Director (Chhattisgarh State Judicial Academy), Bilaspur.	03-03-2013
13.	Shri Radhakishan Agrawal, Special Judge under SC & ST (P.A.) Act, Durg.	03-03-2013
14.	Shri Govind Kumar Mishra, I Additional Principal Judge, Family Court, Durg.	03-03-2013
15.	Shri Nirmal Minj, III Additional District & Sessions Judge, Ambikapur.	03-03-2013
16.	Shri Agralal Joshi, Judge, Family Court Janjgir-Champa	03-03-2013
17.	Shri Sypriel Xess, Additional District & Sessions Judge, Dhamtari	03-03-2013

(1)	(2)	(3)
18.	**Shri Makardhwaj Jagdalla, Additional District & Sessions Judge, Sanjari Balod.**	03-03-2013
19.	**Shri Sanjay Kumar Jaiswal, I Additional District & Sessions Judge, Ambikapur.**	03-03-2013
20.	**Shri Kanwarlal Charyani,** Additional Secretary, Govt. of C.G., **Law &** Legislative Affairs Department, Raipur.	03-03-2013
21.	**Shri Ashok Kumar Sahu,** II Additional District & Sessions Judge, **Raigarh.**	03-03-2013
22.	**Shri Jaideep** Vijay Nimonkar, Additional District & Sessions **Judge, Surajpur.**	03-03-2013
23.	**Shri Noordeen Tigala, I Additional** District & Sessions Judge, **Raipur.**	03-03-2013
24.	**Shri Narendra Singh Chawla, Additional** District & Sessions **Judge, Gariaband.**	03-03-2013
25.	**Smt. Minakshi Gondaley, I Additional Principal** Judge, Family **Court, Raipur.**	03-03-2013
26.	**Shri Ram Kumar** Tiwari, Additional District & Sessions Judge, **Ramanujganj.**	03-03-2013

Bilaspur, the 20th March 2013

No. 193/Confdl./2013/II-3-2/2002 (Pt. II).—The following Judicial Officers of Lower Judicial Service, as **specified in column No. (2)** of the table below, in whose favour a certificate of confirmation was issued vide Registry **Order No. 597/Confdl./2012/**II-3-2/2002, dated 01-09-2012, are, hereby, confirmed in Lower Judicial Service from **the date mentioned in column** No. (3) :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Date of Confirmation (3)
1.	Shri Agam Kumar Kashyap	21-02-2013
2.	Shri Shrinivas Tiwari	01-03-2013

बिलासपुर, दिनांक 20 मार्च 2013

क्रमांक 2191/तीन-6-1/2000.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का अधिनियम क्रमांक 02), की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की अधिसूचना क्रमांक-2823/तीन-6-1/2000 दिनांक 12 मई, 2011 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ एतद्द्वारा निम्न सारणी के स्तंभ (1) में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को रेल

संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम 1966 (सन् 1966 का 29) एवं रेल्वे एक्ट 1989 (सन् 1989 का 24) के अंतर्गत दण्डनीय और रेल भूमि के उस भाग जो छत्तीसगढ़ के उक्त सारणी के स्तंभ (3) में दर्शित सिविल जिलों की सीमाओं के अंतर्गत स्थित है, में होने वाले अपराधों की जांच एवं विचारण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3403/21-ब (छ.ग.)/2001 दिनांक 04, जुलाई, 2001 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (सन् 1974 का 2) की धारा 11 (1) के अधीन निर्मित विशेष न्यायालय का, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है :—

सारणी

अनु. क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का नाम	मुख्यालय	स्थानीय क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री अभिषेक शर्मा	रायपुर	रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव एवं बिलासपुर.

No. 2191/III-6-1/2000.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and in supersession of its previous Notification No. 2823/III-06-1/2000, dated 12-05-2011, the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur hereby, appoints the Judicial Magistrate First Class shown in column No. (1) of the table below to be the presiding officer of the Court of Special Magistrate established by the Govt. of Chhattisgarh under section 11 (1) of the Code of Criminal Procedure, 1973 vide Law and Legislative Affairs Department Notification No. 3403/21-B (C.G.)/2001, dated 04th July, 2001 for enquiry and trial of offences under the Railway Property (Unlawful Possession) Act, 1966 (No. 29 of 1966) and under the Railway Act, 1989 (Act No. 24 of 1989) arising out of the Railway Lands running through territories of Civil District shown in columns No. (3) of the said table with effect from the date of his assuming charge of his office.

TABLE

Sl. No.	Name of the Judicial Magistrate First Class	Head Quarter	Local Area
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Shri Abhishek Sharma	Raipur	Raipur, Durg, Rajnandgaon & Bilaspur

Bilaspur, the 21st March 2013

No. 27/II-14-1/2013(Pt.-III).—Following Officers of this Registry are promoted to the post of Assistant Registrar in the Pay Band of Rs. 15600-39100+5400 Grade Pay, on the establishment of this High Court, on officiating capacity for a period of two years from the date of their assuming charge of duties :—

S. No.	Name & Designation
(1)	(2)
1.	Shri Ashok Kumar Dewangan, Section Officer
2.	Shri Devasish Chatterjee, Asstt. Editor (ILR)
3.	Shri Ramayan Prasad Dewangan, Section Officer
4.	Shri S. Somayajulu, Private Secretary
5.	Shri Arun Kumar Potdar, Section Officer

(1)	(2)
6.	Shri K. V. Rao, Private Secretary
7.	Shri A. Anjani Kumar, Private Secretary
8.	Shri Sunil Kumar Chouhan, Section Officer
9.	Shri Krishna Kumar Barve, Private Secretary
10.	Shri K. Venkatesh, Section Officer
11.	Shri K. G. Shankar Rao, Private Secretary.

Bilaspur, the 21st March 2013

No. 28/II-14-1/2013(Pt.-III).—The following Assistant Grade-I of this Registry are promoted to the post of Section Officer in the PB-2 of Rs. 9300-34800+Grade Pay 4400/- on the establishment of this High Court, in officiating capacity for a period of two years from the date they assume the charge of duties to the post of Section Officer :—

Sl. No. (1)	Name (2)
1.	Shri Sanjeev Sinha
2.	Smt. Anita Negi
3.	Shri Nilesh Dehake

Bilaspur, the 21st March 2013

No. 29/II-14-1/2012(Pt.-III).—The following Stenographers of this Registry are promoted to the post of Private Secretary in the PB-2 of Rs. 9300-34800+Grade Pay 4400/- on the establishment of this High Court, in officiating capacity for a period of two years from the date they assume charge of their duties :—

Sl. No. (1)	Name (2)
1.	Shri Bhola Nath Khatai
2.	Shri Rahul Jha

Further, their Seniority in the cadre of Private Secretary shall be fixed from the date of the promotion to the post of Private Secretary.

Bilaspur, the 23rd March 2013

No. 207/Confdl./2013/II-1-1/2009.—It is hereby notified that pursuant to Notification No. . 13016/02/2012-US.II, dated 20th March 2013 of Government of India, Ministry of Law & Justice, (Department of Ju tice), New Delhi, (1) Hon'ble Shri Justice Pritinker Diwaker and (2) Hon'ble Shri Justice Rangnath Chandrakar have assumed charge of the office of Additional Judge of the High Court of Chhattisgarh in the forenoon of 22nd March, 2013.

By order of Hon'ble th Chief Justice,
A. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.